

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

अधि०सं०-२/पी०५-२०-०२/२०१३ गृ०आ० /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-४८०० दिनांक ०१.०४.२०१६ में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित तीन वरीय पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर वेतनमान पे बैंड-३+ग्रेड वेतन रु० ७६००/- में औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	नाम	मूल वरीयता क्रमांक
१.	२	३
१.	श्री अमृतेन्दु शेखर ठाकुर	७१/१४
२.	श्री ललित मोहन शर्मा	७२/१४
३.	श्री हरिशंकर कुमार	७४/१४

- प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-२२ (१) (A) (१) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना विकल्प देना होगा।
- यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) सं०-२९७७०/२०१५ बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

/पटना, दिनांक , २०१६

ज्ञाप सं०-२/पी०५-२०-०२/२०१३ गृ०आ०

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

/पटना, दिनांक २९/९, २०१६

ज्ञाप सं०-२/पी०५-२०-०२/२०१३ गृ०आ०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारियों/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।